कार्यालय शिक्षा अधिकारी क्षेत्र-4 बालक

संख्या:- क्षेत्र 4 बालक/ 1151-75 दिनांक 16-5-80 16.5.80

सेवा में,

प्रबन्धक,
भारत नेशनल स्कूल,
बुजारी, तुर्कमान गेट,
दिल्ली-6।

विषय:- मान्यता प्रदान करने हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्राप्त आपके पत्र संख्या शून्य दिनांक 21.3.80 के संदर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि शिक्षा निदेशक महोदय ने आपके विद्यालय को कक्षा प्रथम से आठवीं (8) तक नये सत्र 1980-81 के अनुदान रहित निम्नलिखित शर्तों पर मान्यता करना स्वीकार किया है।

1. विद्यालय दिल्ली शिक्षा अधिनियम 1973का पूर्ण पालन करेगा।
2. अध्यापकों को दिल्ली के सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों कर्मचारियों के समान वेतनमान तथा अन्य भत्ते व लाभ दिया जायेगा।
3. विद्यालय को पांच हजार रुपये खर्च करके तीन महीने के अन्दर एक प्रयोगशाला स्थापित करनी होगी।
4. विद्यालय को पुस्तकालय के लिए तीन महीने के अन्दर कम से कम एक हजार रुपये मूल्य की पुस्तकें खरीदनी होगी।
5. विद्यालय के लिए खेलकूद के समुचित व्यवस्था करनी होगी।
6. नर्सरी कक्षायें विद्यालय के प्रांगण से बाहर चलाया जायेगा।
7. विद्यालय स्कीम आफ मैनेजमेंट तथा टीचर्स एग्रीमेन्ट की प्रतियां तीन महीने के अन्दर विभाग को उपलब्ध करायेगा और इनपर अनुमोदन लेगा।
8. विद्यालय के विभाग द्वारा स्वीकृत पाठ्य-पुस्तकें लगायी जाये और जो भी अध्यापक भर्ती किये जायेंगे, उनकी योग्यता सरकारी विद्यालयों के अध्यापकों की योग्यताएं समक्ष होगी।
9. निर्धारित फीस बिना अनुमति के नहीं बढ़ाई जाये।
10. शिक्षा निदेशक तथा विद्यालय के प्रबन्धक के संयुक्त नाम में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में पांच हजार रुपये की राशि सावधिक खाते में तीन महीने के अन्दर जमा करा दी जाये।
11. विद्यालय स्थल का प्रयोग किसी व्यापारिक कार्य निवास हेतु न किया जाए तथा विद्यालय में बिना किसी जाति धारण तथा साम्प्रदायिक के मतभेद के सभी को प्रवेश दिया जाये।
12. प्रबन्धक समिति विद्यालय के भवन के लिए पर्याप्त मात्रा में भूमि उपलब्ध करेगा तथा आवश्यकतानुसार भवन तीन वर्ष में पूरा करेगा।
13. प्रबन्धक समिति विभाग से आगामी पांच वर्ष तक अनुदान के लिए प्रार्थना पत्र नहीं देगा।

भवदीय,

शिक्षा अधिकारी क्षेत्र-4 बालक

संख्या:- क्षेत्र 4 बालक

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु:-

1. उपशिक्षा निदेशक 2. अनुसंधान अधिकारी 3. उपशिक्षा अधिकारी